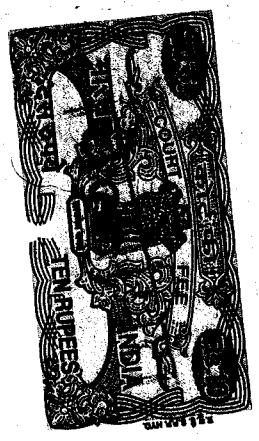

निगरानी 2465-I-15

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. नरेन्द्र कुमार पिता हल्का उर्फ हल्के काछी
2. ओंमप्रकाश पिता हल्का उर्फ हल्के काछी
   दोनों निवासी शाहगढ़ तह0शाहगढ़ जिला–सागर
3. रतनसिंह पिता चिन्ने लाल यादव
   निवासी ग्राम सिमरियाकलां तह0शाहगढ़
   जिला–सागर(म0प्र0) .....आवेदकगण

//बनाम//

तहसीलदार महोदय तह0शाहगढ़
जिला–सागर(म0प्र0) .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार शाहगढ़ जिला सागर के रा0प्र0क्र0 29/अ–6/वर्ष2014–15 में पारित आदेश दिनाँक 25.05.2015 से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैः–

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक क्र01एवं 2 के पिता हल्का तनय मोहन उर्फ सुक्का के नाम भूमि ख0नं0 904 रकवा 0.30हे0भूमि दर्ज थी जिसका पुराना ख0नं0 348/14 था आवेदक क्र01एवं2 के पिता आवेदकगणों के बचपन में ही फौत हो गये थे जिस कारण से उक्त भूमि का उन्हें पता नहीं चला जब उनको भूमि की जानकारी हुयी कि पिता के नाम भूमि है जो आज भी पिता के नाम से रिकार्ड में दर्ज है तब आवेदक क्र01एवं2ने विधिवत् पिता की फौती नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर सं0क्र0142 वर्ष 2014 दिनाँक 16.09.2014 को फौती दर्ज हेतु तहसीलदार महोदय ने प्रमाणित किया तदानुसार उक्त

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 2465-एक/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-8-15	1– मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार शाहगढ़ जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 29/अ–06/2014–15 मे पारित आदेश दिनांक 25/05/15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक क्र01व2 के पिता के नाम भूमि ख0नं0904 रकवा 0.30हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसका पुराना ख0नं0 348/14 था, उक्त भूमि आवेदक क्र01व2 को वारिशान हक में विधिवत् प्रकिया अपनायी जाकर विधिवत् नामांतरण सं0पंजी क्र0142 दिनॉक 16.09.2014 को किया गया था जिसके उपरांत आवेदक क्र01व2 द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से भूमि का विकय आवेदक क्र03 रतनसिंह को किया गया था जिसका राजस्व अभिलेख मे नामांतरण भी दिनॉक 17.11.2014 को किया जा चुका है जिसमें पारिवार के किसी भी व्यक्ति द्वारा विकय पत्र एवं नामांतरण पर कोई आपत्ति नहीं की है। मात्र शिकायतकर्ता की अनाधिकृत आपत्ति के आधार पर प्रकरण पुनर्विलोकन में लिया जाना न्यायसंगत न होने से उन्होंने पारित आदेश को निरस्त किया जाकर रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर किये गये नामांतरण को यथावत किये जाने का अनुरोध किया है। 3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित भूमि हल्का वल्द मोंहन के नाम दर्ज होने से उसके पुत्रों के नाम वारिशान हक में फौती दर्ज की गयी है जिसे प्रश्नगत किये जाने का अधिकार शिकायत कर्ता को नहीं है यदि कोई प्रश्नगत वारिशान नामांतरण या विक्रय पत्र के आधार पर किये गये नामांतरण से दुखित है तो उसे व्यवहार न्यायालय की शरण लेनी चाहिए ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर किया गया नामांतरण आदेश को मैं अवैद्य नहीं पाता हूॅ।	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनॉक 25.05.2015 निरस्त किया जाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पारित नामांतरण आदेश दिनॉक 17.11.2014 स्थिर रखा जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

द्वारा प्रस्तुत 3-8-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. नरेन्द्र कुमार पिता हल्का उर्फ हल्के काछी
2. ओंमप्रकाश पिता हल्का उर्फ हल्के काछी
   दोनों निवासी शाहगढ़ तह0शाहगढ़ जिला–सागर
3. रतनसिंह पिता चिन्ने लाल यादव
   निवासी ग्राम सिमरियाकलां तह0शाहगढ़
   जिला–सागर(म0प्र0) ....आवेदकगण

//बनाम//

तहसीलदार महोदय तह0शाहगढ़
जिला–सागर(म0प्र0) ....अनावेदक